सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987

(1987 का अधिनियम संख्यांक 52) में संशोधन

पर

एक सौ साठवीं रिपोर्ट

1998

अ. शा. सं. 6(3)(45)/98-एल. सी. (एल. एस.)

न्यायमूर्ति
बी.पी. जीवनरेड्डी
चेयरमैन, भारत का विधि
आयोग

सत्यमेव जयते

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001
दू. भा. 3384475
नि. 1—जनपथ
नई दिल्ली-110011
6 अगस्त, 1998

प्रिय डा. एम. थम्बीदुरै

मैं एतद्द्वारा ''भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987(1987 का अधिनियम संख्यांक 52) में संशोधन पर एक सौ साठवीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ।

सरकारी आदेश, जिसके अन्तर्गत भारत का विधि आयोग गठित किया गया था, के निदेशपदों के अनुसरण में आयोग ने स्वयं ही यह विषय चुना है।

यह रिपोर्ट मूलतः तकनीकी शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के उद्देश्यों के संदर्भ में मानकों के अनुरक्षण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 10 के अन्य खण्डों में से खण्ड (ट) में निर्दिष्ट परिषद् की शक्ति, नई तकनीकी संस्थाएं और संबंधित अभिकरणों के परामर्श से नये पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। इस शक्ति तथा कृत्यों के प्रयोग में संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् सम्बद्ध विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के परामर्श से तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने की उपधारणा अन्तर्निहित है। क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या एक विशिष्ट रूप में करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को पूर्ण शक्ति सम्पन्न माना है इसलिए आयोग रिपोर्ट के पैरा 3.1 में निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि से उत्पन्न संदेहों को दूर करने के विचार से इस विषय को स्वयेंव चुनने के लिए प्रेरित हुआ है। तकनीकी शिक्षा का सही अर्थ में समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिकरणों से परामर्श करने की संविधिक अपेक्षा के होते हुए भी संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार के किसी दखल के बिना ही उक्त खण्ड में निर्दिष्ट मामलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को पूर्ण शक्ति प्राप्त है इस संदेह को दूर करने की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के विश्व में और विशेषकर भारत के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा के महत्व पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सादर,

भवदीय,

(बी. पी. जीवनरेड्डी)

डा. एम. थम्बीदुरै,
माननीय, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

55 LJ&CA/2000—1

विषय सूची

अध्याय एक	प्रस्तावना
अध्याय दो	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम का उद्देश्य तथा वर्तमान विधि
अध्याय तीन	उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों में धारा 10 के खण्ड (ट) की तात्विक शब्दावलि की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया।
अध्याय चार	कार्यपत्र पर प्रतिक्रिया की मुख्य बातें
अध्याय पाँच	सिफारिशें
अध्याय छः	निष्कर्ष
	उपाबन्ध
उपाबंध-एक	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्यांक 52) में संशोधन पर कार्यपत्र

अध्याय - एक

प्रस्तावना

1.1 **पंद्रहवां विधि आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेशपदों के साथ गठित किया गया—**

''सामान्य महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का सरलीकरण करने और उनमें अन्तर्विष्ट विसंगतियों, संदिग्धार्थों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए उनकी पुनरीक्षा करना''

यह रिपोर्ट मूलतः तकनीकी शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (यहाँ इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) के उद्देश्यों के संदर्भ में मानकों के अनुरक्षण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 10 के अन्य खंडों में से खण्ड (ट) में निर्दिष्ट परिषद् की शक्ति नई तकनीकी संस्थाएं और संबंधित अभिकरणों के परामर्श से नये पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित है। इस शक्ति तथा कृत्यों के प्रयोग में तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने की उपधारणा अन्तर्निहित है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रावधान की व्याख्या परवर्ती अध्याय तीन में उल्लिखित एक विशेष रूप में की है और उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई धारा 10 के खण्ड (ट) की व्याख्या के कारण ही भारत के विधि आयोग ने इस मामले को स्वयंेव ही चुना है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की दृष्टि से (देखें निम्नलिखित पैरा 3.1) कतिपय संदेह पैदा हुए हैं जिनमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नये तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति परिषद् में निहित है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि अखिल भारतीय तकनकी शिक्षा परिषद् अधिनिमय की धारा 10 (ट) में पायी जाने वाली अभिव्यक्ति ''संबंधित अभिकरणों के परामर्श से'' के सही अर्थ पर उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्याप्त विचार नहीं किया। तकनीकी शिक्षा का सही अर्थ में समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिकरणों से परामर्श करने की सांविधिक अपेक्षा के होते हुए भी संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार के किसी दखल के बिना ही उक्त खण्ड में निर्दिष्ट मामलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को पूर्ण शक्ति प्राप्त है इस संदेह को दूर करने की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के विश्व में और विशेषकर भारत के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा के महत्व पर बल देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

1.2 **कार्यपत्र**

आयोग ने इस विषय में रूचि रखने वाले व्यक्तियों एवं निकायों के विचार जानने के लिए (पैरा 4.1 नीचे दिया गया) एक कार्यपत्र (उपाबंध-1) तैयार और परिचालित किया था। आयोग उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने कार्यपत्र पर अपने विचार भेज कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्राप्त टिप्पणियों का सारांश रिपोर्ट के आगे आने वाले अध्याय चार में दिया जाएगा।

55 LJ&CA/2000—2

अध्याय-दो

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 का उद्देश्य तथा वर्तमान विधि

समस्त देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित योजना और समन्वित विकास, योजनाबद्ध परिमाणात्मक वृद्धि के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन करने और तकनीकी शिक्षा पद्धति के विनियमन और मानदंड तथा मानक के समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए संसद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987, यहाँ इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट, बनाया गया था। परिषद से तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विनियमन और मानदंड तथा मानकों के समुचित अनुरक्षण की भी अपेक्षा की गई थी। परिषद से उपर्युक्त कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति विकसित करने जिसमें उत्तदायित्व लागू करने के लिए मानदंड और क्रियाविधि सम्मिलित हो, की भी अपेक्षा की गई है। यह छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उपबन्ध करेगी तथा उसे ऐसे संस्थानों के, जो उसके द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों और मानकों का तथा समय-समय पर उसके द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का पालन करने में असफल रहे हैं, अनुदान रोकने या बंद करने तथा इन संस्थानों की मान्यता समाप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

परिषद् का गठन अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों/निकायों को सम्मिलित करके किया जायेगा। यह अपने कृत्यों का निर्वहन अधिनियम की धारा 10 के निर्देशानुसार करेगी जिनकी रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की गई है।

अधिनियम के उद्देश्य तथा कारण :—

अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप मे स्वीकृत मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए सरकारी संकल्प द्वारा 1945 में की गई थी। परिषद पहली तीन दशाब्दियों के दौरान प्रभावी रूप में कार्य करती रही और इस अवधि में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तथापि, हाल के वर्षों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मार्गनिर्देशों की अवहेलना करते हुए बहुत से निजी इंजीनियरिंग कालिज तथा पालिटेकनिक संस्थान स्थापित हो गए है। इनमें से अधिकांश संस्थानों में समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रारंभिक ज्ञान संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव जैसी गम्भीर कमियां हैं। कुछ संस्थानों को छोड़कर इनमें शैक्षणिक स्तर के अनुरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा जाता है।

2. तकनीकी शिक्षा के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए, 1981 में हुई अपनी बैठक में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब ऐसा समय आ गया है जबकि परिषद् को देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर के विनियमन और अनुरक्षण के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इनके तथा अन्य सिफारिशों के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की भूमिका की जाँच करने के लिए नवम्बर, 1985 में एक राष्ट्रीय कार्यकारी दल गठित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्ष परिषद् अपनी भूमिका प्रभावी रूप में निभा सके इस विचार से उसे आवश्यक सांविधिक प्राधिकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में भी यह कहा गया है कि आयोजना मानदंड तथा मानक निर्धारित करने तथा उनके अनुरक्षण, प्रत्यायन, वित्तपोषण अथवा प्राथमिकता वाले क्षेत्र, निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रमाणपत्रों तथा अधिनिर्णयों में समानता बनाए रखने और तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सांविधिक प्राधिकार दिए जायेंगे।

3. विधेयक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को, निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान का प्रावधान किया है:—

(एक) देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित योजना और समन्वित विकास।

(दो) योजनाबद्ध परिमाणात्मक वृद्धि के संबंध में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन, और

(तीन) प्रणाली के विनियमन और मानदंडों तथा मानकों का समुचित अनुरक्षण।

तद्नुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सौंपी गयी शक्तियों और कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यक्रमों और संस्थानों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना, तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए स्वकृति प्रदान करना, छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना और फीस प्रभारित करना तथा स्तरमानों के अनुरक्षण और कार्यक्रम तथा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने या रोकने की दृष्टि से संस्थानों का आवधिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने का प्रावधान है। इस समग्र समन्वयन और विकास दायित्व के भाग के रूप में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् परिलक्षित विकास प्रयोजनों के लिए संस्थानों को अनुदान भी देगी। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई प्रौद्योगिकी का सृजन, अनुसंधान और विकास, उद्योग के साथ सम्पर्क तथा महिलाओं, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का संवर्धन भी कर सकेगी।

अधिनियम के अध्याय तीन में आने वाली धारा 10 में परिषद् की शक्तियों और कृत्य निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि यह रिपोर्ट धारा 10 में केवल खण्ड (ट) से ही संबंधित है इसलिए धारा 10 का संगत अंश ही यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है। यह इस प्रकार है :

> "10 परिषद का कर्तव्य होगा कि वह सभी उपाय करे जो वह तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा स्तरमानों को बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए परिषद.....................................
>
> (ट) नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए और संबंधित अभिकरणों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकेगी।

(बल दिया गया)

धारा 11 में परिषद् को किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की या उसके अध्ययन, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरमानों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ऐसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय के किसी विभाग या विभागों का निरीक्षण कराने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 22 इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है जबकि धारा 23 इसी प्रयोजन से परिषद को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।"

विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण अधिनियम की प्रस्तावना तथा धारा 10 के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि परिषद् का मूल उद्देश्य तकनीकी शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास करना तथा स्तरमानों को बनाए रखना है। अधिनियम के इस विषय और प्रयोजन का बार बार उल्लेख हुआ है। खण्ड (ट) में निर्दिष्ट शक्ति सहित धारा 10 में निर्दिष्ट विभिन्न शक्तियाँ उक्त प्रयोजन तथा उद्देश्य की अनुपूरक है। वास्तव में धारा 10(ट) का लागू होना तभी संभव है जब यह कहा जाए कि नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने और स्तरमानकों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होगा। इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि "तकनीकी शिक्षा" नामक अभिव्यक्ति को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखने के हित में तथा अधिनियम और देश में प्रवृत्त विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों के बीच अननुरूपता से बचने के विचार से "तकनीकी संस्थान" नामक अभिव्यक्ति में तकनीकी कालिजों को सम्मिलित न समझना संभव होना चाहिए। जैसा भी हो भारत के उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रावधान की एक विशिष्ट रूप में व्याख्या की है और धारा 10(ट) की उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के कारण ही विधि आयोग स्वयेंव ही इस विषय को लेनें और संशोधन का सुझाव देते हुए यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित हुआ है।

अध्याय - तीन

उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों में अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ट) की तात्विक शब्दावलि की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया

3.1 संविधान पीठ द्वारा निर्णीत जे.पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में (1993) एस सी सी 645 अपने निर्णय के पैरा 189 तथा 190 में अधिनियम की व्यापक स्कीम पर विचार किया है। धारा 10 में संगत खण्डों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय ने टिप्पणी की:

> ''अधिनियम की धारा 3 में परिषद की स्थापना का प्रावधान है जबकि धारा 10 में परिषद के कृत्य निर्दिष्ट किए गए हैं। इस सामान्य निर्देश के अतिरिक्त कि परिषद तकनीकी शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा स्तरमानों को बनाए रखने के लिए वह सभी उपाय करेगी जो वह ठीक समझे, अधिनियिम में परिषद को, अन्य बातों के साथ-साथ (ञ) अध्यापन फीस और अन्य फीसें प्रभारित करने के लिए मानदंड और मार्ग दर्शक सिद्धांत नियत करने, (ट) नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए और अभिकरणों के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या नए कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने, और तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्तियां प्रदान की गई है। यह सच है कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसमें यह व्यवस्था दी गई हो कि कोई भी इंजीनियरी कालिज अथवा तकनीकी शिक्षा देने वाला कोई भी अन्य कालिज या संस्थान परिषद की अनुमति से स्थापित किया जा सकेगा। परन्तु इसी कारण से परिषद् द्वारा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाना आशयित है। हमारा मत है कि धारा 10 द्वारा परिषद को प्रदान की गयी शक्तियों, उपर्युक्त निर्दिष्ट शक्तियों सहित, परिषद को उक्त प्रभाव का आदेश जारी करने का अधिकार देती है । परिषद यह भी कह सकती है कि वर्तमान संस्थानों में भी कोई भी नया पाठ्यक्रम, संकाय अथवा क्लास बिना अनुमति के आरम्भ नहीं की जाएगी...''

दुर्भाग्यवश, धारा 10 के खण्ड (ट) में आयी शब्दावलि— ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' पर अथवा अधिनियम में अन्तर्निहित मुख्य उद्देश्य के संबंध में खण्ड के अनुपूरक स्वरूप पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया- ''तकनीकी संस्थान'' नामक अभिव्यक्ति के अर्थ और व्याप्ति पर और भी कम ध्यान दिया गया। संभवतया इसका कारण यह रहा हो कि न्यायालय का तात्पर्य अधिनियम की सामान्य योजना पर विचार करना था और न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों में धारा 10 के खण्ड (ट) में आयी उपर्युक्त शब्दावलि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

3.2 तमिलनाडु राज्य तथा अन्य बनाम अधमान शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान तथा अन्य (1995) 4 एस सी एम 104, मामले में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच ने अधिनियम की योजना तथा क्षेत्र पर और दो राज्य अधिनियमों अर्थात् तमिलनाडु प्राइवेट कालिजेज (विनियम) अधिनियम, 1976 (तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम) और मद्रास युनीवर्सिटी एक्ट, 1923 (तथा उसके अर्न्तगत बनाये गये नियम) की योजना तथा क्षेत्र पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 66 तथा सूची तीन की प्रविष्टि 25 से संबंधित है और इन्ही के अन्तर्गत और अनुसरण में बनाया गया है। न्यायालय ने यह भी पाया है कि तमिलनाडु के उपर्युक्त दोनों अधिनियम भी सूची तीन की प्रविष्टि 25 से संबंधित है और तद्नुसार अभिनिर्धारित किया कि जहां उक्त दोनों राज्य अधिनियमों के क्षेत्र अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राज्य अधिनियम निरर्थक है और लागू नहीं होंगे। यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियमों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं की गई जैसा कि उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में अपेक्षित हैं। निर्णय के पैरा 27 (पृष्ठ 124) पर की गयी टिप्पणियां संगत हैं और यहां नीचे उद्धृत की जा रही है। तमिलनाडु प्राइवेट काजिल (विनियमन) अधिनियम और अधिनियम के बीच विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय ने टिप्पणी की—

> ''27 उपर्युक्त राज्य अधिनियमों के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यदि इन्हें तकनीकी संस्थानों के लिए लागू कर दिया जाए तो इनसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर · · · नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने के मामले में · · · · · · केन्द्रीय अधिनियम का अतिक्रमण होगा और यह विवादास्पद विषय बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्वतर चर्चा की जा चुकी है, केन्द्रीय अधिनियम का मूल उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, देश पर्यन्त तकनीकी शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वित विकास और ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार के संवर्धन तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली के मानदंड तथा मानकों के समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना करना है और यह विषय केवल केन्द्रीय सरकार के

> विधायी क्षेत्राधिकार में आता है जैसा कि सातवीं अनुसूची की संघ सूची में प्रविष्ट संख्या 66 से स्पष्ट है । अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाए गए है इन्हें सूची संख्या तीन की प्रविष्ट संख्या 25 के अन्तर्गत अधिनियमित भी समझा जा जकता है · · · · · · · ''

(बल दिया गया)

इस अधिनियम तथा मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के बीच विवाद पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पैरा 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की :—

> ''केन्द्रीय अधिनियम और यूनिवर्सिटी एक्ट के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जहां तक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का संबंध है, परिषद् तथा विश्वविद्यालय के कृत्यों के बीच विवाद और अतिव्याप्ति है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत परिषद् को विशेषकर · · · · · · · · · · · · · नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गई है · · · · · · · · · · इस प्रकार जहां तक ऐसे मामलों का संबंध है, तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों के मामले में यूनीवर्सिटी का नहीं अपितु केन्द्रीय अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत स्थापित परिषद् का ही अधिकार क्षेत्र होगा। उस सीमा तक, केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधान इंजीनियरी कालिज जैसे तकनीकी कालिजों के मामले में अप्रवर्तनीय समझे जाएंगे———— । इंजीनियरी कालिज जैसे तकनीकी कालिजों के संबद्ध होने के बारे में और अनुदान की शर्तों तथा विश्वविद्यालय इस प्रकार सम्बद्ध बने रहने के मामले में यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधान प्रवर्तनीय रहेंगे परन्तु अनुदान प्राप्त करने तथा सम्बद्धता जारी रखने संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें परिषद् द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उसे सौपे गए मामलों के बारे में निर्धारित मानदंडों और मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप ही होनी चाहिए।

(बल दिया गया)

इस निर्णय में भी फिर से दुर्भाग्यवश, न तो धारा 10 (ट) के अन्तिम शब्दों पर अर्थात् ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' और न ही धारा 10 और उसके खण्ड (ट) के अर्थ से संबंधित अन्य मामलों पर समुचित ध्यान दिया गया। यह बात स्पष्ट है कि तकनीकी संस्थानों की स्थापना को अनुमति प्रदान करने की शक्ति पर विचार करते समय, ऐसे मामलों की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं दिलाया गया। यह बात नोट की जा सकती है कि अधिनियम के अनुसार नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने के लिए परिषद् की शक्ति तथा कृत्य पूर्ण एवं अनन्य नहीं हैं। अधिनियम में इस शक्ति को ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' और केवल अधिनियम का मूल उद्देश्य या प्रयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने की अवधारणा है। ''सम्बद्ध अभिकरणों'' में विश्वविद्यालय, जिसे सम्बद्धता के लिए अनुमति देनी है, और राज्य सरकार जहां राज्य अधिनियम नए तकनीकी संस्थानों और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति देने से संबंधित है अवश्य ही सम्मिलित होने चाहिए।

3.3 धारा 10 के खण्ड (ट) के अन्तर्गत कृत्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का प्रभाव

विश्वविद्यालय पर लगाया गया यह प्रतिबन्ध कि वह सम्बद्धता के लिए परिषद् द्वारा रखी गयी शर्तों से भिन्न अन्य शर्त नहीं रख सकता। विश्वविद्यालयों की स्थिति संलग्नक की बना देता है और उनकी शक्तियां निरर्थक। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, तमिलनाडु अधिनियम, 1976 की भांति राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत उनकी सांविधिक शक्तियां पूरी तरह निष्प्रभावी और अप्रवर्तनीय हो जाती हैं। यह विषय बहस करने योग्य है कि क्या अधिनियम में इतनी गम्भीर सर्वव्यापी परिणामों की अवधारणा है और यह कि यदि इसका आशय इसी प्रकार का होता तो ऐसा आशय अधिनियम में स्पष्ट और महत्वपूर्ण रूप में व्यक्त किया गया होता।

3.4 व्यवहार में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को किस प्रकार समझा जा रहा है :—

तथापि, तमिलनाडु राज्य तथा अन्य बनाम अद्यमान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या में इंजीनियरी कालिजों सहित तकनीकी संस्थान आरम्भ करने तथा विद्यमान संस्थानों में नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने के मामले में परिषद् को एक मात्र, अनन्य एवं पूर्ण अधिकार दिया गया है। दूसरे शब्दों में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार का मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। यद्यपि खण्ड (ट) में ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' शब्दावली आती है परन्तु उक्त निर्णय की दृष्टि से उसकी उपेक्षा की जा रही है। व्यवहार में भी, ऐसा प्रतीत होता है, पहले परिषद् किसी तकनीकी संस्थान को, किसी नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करती है इसके पश्चात् ही सम्बद्धता को स्वीकृति के लिए विश्वविद्यालय से अनुरोध करती है। विश्वविद्यालय का विचार है कि उसके सम्मुख तो सम्पन्न कार्य ही आता है। यहां यह स्मरण कराना उचित होगा कि 1987 का अधिनियम बनने से पूर्व, विशेषकर उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय से पूर्व, नया तकनीकी संस्थान स्थापित करने अथवा विद्यमान तकनीकी संस्थानों में नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करना पूर्णतया विश्वविद्यालय और/अथवा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता था। परन्तु उक्त अधिनियम बनने के, विशेषकर उक्त निर्णय के पश्चात्, राज्य सरकार को पूर्णतया इस क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है और विश्वविद्यालय की भूमिका भी न के बराबर रह गयी है।

परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, संस्थान अधिकार के रूप में सम्बद्धता की मांग करते हैं। विधि आयोग की दृष्टि से न तो यह स्थिति 1987 के अधिनियम की भावना और उद्देश्य के अनुरूप है और न ही "विश्वविद्यालय की स्वायत्ता" के और न ही राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के।

3.5 सुसंगत संवैधानिक उपबन्ध और उनका प्रभाव

इस संबंध में यह स्मरण कराया जा सकता है कि शिक्षा पहले राज्यसूची का विषय था परन्तु 42वें संशोधन के पश्चात् इसे समवर्ती सूची में लाया गया। संशोधन अधिनियम से पूर्व शिक्षा के मामले में संसद की शक्ति सूची की प्रविष्टि सं० 63 से 66 तक सीमित थी। प्रविष्टि 63 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कतिपय निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों से संबंधित, प्रविष्टि सं. 64 भारत सरकार द्वारा पूर्णतया या आंशिक रूप में वित्तपोषित संसद द्वारा विधि बनाकर राष्ट्रीय महत्व के घोषित वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के बारे में है। प्रविष्टि सं. 65 संघीय अभिकरणों तथा वृतिक व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण, विशेष अध्ययन अथवा अनुसंधान तथा अन्वेषण या अपराध का पता लगाने में वैज्ञानिक अथवा तकनीकी सहायता से संबंधित है। प्रविष्टि सं. 66 जो इस विषय में सुसंगत प्रविष्टि है, का पाठ इस प्रकार : "उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान संस्थान तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय और स्तरमानक निर्धारित करना"। दूसरे शब्दों में 42वें संशोधन अधिनियम से पूर्व संसद की शक्ति प्रविष्टि 66 में निर्दिष्ट संस्थानों में समन्वयन तथा स्तरमानक निर्धारित करने तक सीमित थी जबकि शिक्षा पूर्णतया राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय था। उपर्युक्त संशोधन अधिनियम से संसद को शिक्षा विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई है। जिसका यह तात्पर्य है कि संसद को अधिनियम से पूर्व या उसके पश्चात् राज्य विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संसद के अधिनियम के अनुरूप है असंगति की सीमा तक निरर्थक है। उच्चतम न्यायालय ने अद्यमान मामले में इसी सिद्धांत पर निर्भर किया है तथा इसके बाद भी थिरूमुरूगा कृपानन्द वैरियार थावाथीरू सुन्दर स्वामीगल मैडिकल एज्यूकेशनल ट्रस्ट बनाम तमिलनाडु तथा अन्य [1996 (2) स्केल 103] के मामले में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम सहित राज्य अधिनियमों के प्रावधान 1987 के अधिनियम से असंगत पाये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार निरर्थक है। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालयों के बारे में अधिनियमों सहित राज्य अधिनियमों ने अनुच्छेद 254 के खण्ड (2) के अर्थानुसार राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं की है। वास्तव में, राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों की कोई शिक्षा संस्थान, जिसमें तकनीकी शिक्षा भी सम्मिलित हो, स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विश्वविद्यालयों के बारे मे बनाए गए राज्य अधिनियम (अर्थात् अपने राज्य क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी राज्य अधिनियम) विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिए ऐसी शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करते है जो वे अधिनियम के अनुरूप उचित समझें।

3.6 उपर्युक्त संदेहों को स्पष्ट करने की आवश्यकता

1987 के अधिनियम के योजना और विषय सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अधिनियम की अवधारणा में न तो सभी उपर्युक्त राज्य अधिनियमों को निरस्त करना है और न ही नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने या विद्यमान संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करने के लिए परिषद् को अन्नय शक्ति प्रदान करना ही है यद्यपि इसका अप्रत्याशित प्रभाव इस प्रकार का हो सकता है। इस स्थिति में, विधि आयोग का मत है कि अनुमति प्रदान करने के मामले में विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों की उपेक्षा कर देना उचित नहीं है। आयोग का यह भी मत है कि किसी एक व्यक्ति या अभिकरण को ऐसे महत्वपूर्ण मामले में पूर्ण प्राधिकार प्रदान कर देना जनहित में नहीं है। विधि आयोग का यह मत भी है कि "विश्वविद्यालय स्वायत्ता" और उसकी शक्ति तथा इस विषय में राज्य सरकार की भूमिका को महत्व देना तथा उसे फिर से स्थापित करना आवश्यक है। विधि आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 10 क से 10 ग में अन्तर्विष्ट प्रावधानों (दन्त चिकित्सक अधिनियम में भी ऐसे ही प्रावधान) पर, तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों, जिसमें मैडिकल कॉलिज स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को, नि:संदेह संबद्धक विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, पर भी ध्यान दिया है।

3.7 प्रश्नावली का सारांश

तदनुसार, विधि आयोग द्वारा एक प्रश्नावली तैयार की गई और परिचालित की गई। प्रश्नावली (अनुबंध - एक) इस प्रकार थी:

(क) क्या प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित रूप में होना चाहिए:

(ट) नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करना

(एक) संबद्ध अभिकरणों के परामर्श से, और

(दो) विश्वविद्यालय से प्रस्तावित सम्बद्धता या पहले ही से सम्बद्ध संस्थानों के मामले में, विश्वविद्यालय की सहमति से,

(ख) क्या विद्यमान धारा 10(ट) का लोप कर दिया जाना चाहिए और उसके स्थान पर इन कृत्यों के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, उपर्युक्त उद्धत, की धारा 10 क की भाँति नई धारा अंत:स्थापित की जानी चाहिए?

(ग) क्या देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिनियम में कोई अन्य मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है?

अध्याय—चार

कार्यपत्र पर प्रतिक्रिया संबंधी सामान्य विचार

उपर्युक्त प्रश्नावली पर विधि आयोग को बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, देश में विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय विश्वविद्यालय संघ, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारें, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी, महानिदेशक नियोजन तथा प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विभाग) भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाए भेजी हैं जिनका विश्लेषण नीचे किया जा रहा है।

4.1 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

परिषद् ने अधिनियम में संशोधन करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया है। परिषद् ने बताया है कि अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों में सम्बद्ध अभिकरणों और विशेषकर संबंधक विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श करने का प्रावधान है और वास्तव में परिषद् उनसे अनुमति देने के प्रत्येक मामले में परामर्श करती है। तद्नुसार, परिषद् का कहना है कि विधि आयोग द्वारा रखा गया प्रस्ताव छोड़ दिया जाना चाहिए। परिषद ने आगे बताया है कि जहां कालिजों के सम्बद्ध किए जाने का प्रश्न है यह अनन्य रूप से विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है और 1987 के अधिनियम द्वारा इसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसी प्रकार पालिटैकनिक्स के मामले में इन्हें सम्बद्ध करने तथा उनमें कार्यक्रम आरम्भ करने का अधिकार राज्य सरकार अथवा तकनीकी शिक्षा निदेशालय को प्राप्त है इसमें भी 1987 के अधिनियम द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

4.2 पंजाब तथा पश्चिम बंगाल सरकार

इन दोनों राज्य सरकारों ने विधि आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावलि के भाग (क) का समर्थन किया है।

4.3 हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उड़ीसा सरकार

इन तीनों राज्य सरकारों ने विधि आयोग की प्रश्नावलि के भाग (ख) का समर्थन किया है। दूसरे शब्दों में, ये राज्य सरकारें वर्तमान धारा 10 के खण्ड (ट) का लोप करके उसके स्थान पर भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10क की भांति एक नई धारा अन्त:स्थापित कराना चाहती है।

4.4 तमिलनाडु तथा केरल सरकार

इन दोनों राज्य सरकारों का यह मत है कि परिषद और सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, तकनीकी संस्थान स्थापित करने के मामले में राज्य सरकार के विचारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए जबकि संस्थान को सम्बद्ध करने का मामला सम्बद्ध विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार, किसी तकनीकी संस्थान की स्थापना अथवा विद्यमान कालिजों में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति देने से पूर्व राज्य सरकार को अनुमति भी प्राप्त की जानी चाहिए। उपर्युक्त के अध्यधीन तमिलनाडु सरकार ने प्रश्नावलि के भाग (क) का समर्थन किया है ।

4.5 भारतीय विश्वविद्यालय संघ

विधि आयोग से प्रश्नावलि प्राप्त होने के पश्चात्, बताया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने उक्त प्रश्नावलि को देश के सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है। बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रतिक्रया संघ को भेज दी है जिसने उनके विचारों से विधि आयोग को अवगत करा दिया है। जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रस्ताव (क) का समर्थन किया है वहीं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों ने प्रश्नावलि के प्रस्ताव (ख) का। तथापि, सभी विश्वविद्यालय इस विषय में एक मत हैं कि नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने अथवा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति देने की शक्ति परिषद को ही नहीं दे दी जानी चाहिए और परिषद को अनन्य रूप से तो बिल्कुल ही नहीं। उन्होंने "विश्वविद्यालय की स्वायत्ता" के पक्ष का सशक्त समर्थन किया है और इस मामले में राज्य सरकारों की भूमिका के महत्व को भी स्पष्ट किया है। अधिकांशत: उनका यही विचार है कि तकनीकी संस्थान की स्थापना राज्य सरकार पर तथा सम्बद्ध करने तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने का मामला अनन्य रूप से विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए।

तथापि, कुछ विश्वविद्यालयों ने कतिपय निश्चित प्रस्ताव रखे हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख किया जायेगा।

4.5.1 **नार्थ गुजरात युनीवर्सिटी** का विचार है कि नीति के रूप में परिषद् को मैक्रो स्तर पर तथा विश्वविद्यालयों को माइक्रो स्तर पर निर्बाध रूप से कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस विश्वविद्यालय के अनुसार परिषद् का संबंध शिक्षा के समन्वयन और स्तरमानकों, शिक्षा की गुणवत्ता के निरीक्षण और निगरानी से होना चाहिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना, नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने से नहीं। विश्वविद्यालय का विचार है कि ये मामले विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों के लिए, जैसा भी मामला हो, जैसा राज्य अधिनियम में प्रावधान हो, छोड़ दिया जाना चाहिए।

4.5.2 **कुमाऊँ विश्वविद्यालय** ने यह विचार व्यक्त किया है कि तकनीकी संस्थान स्थापित करने की शक्ति परिषद् को सौंपने से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता नष्ट हो जाएगी जो उसके अनुसार पूर्णतया अवांच्छनीय है। उसने यह भी कहा है कि परिषद के अधिकार क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिसमें स्तरमानक तथा शिक्षा के गुणात्मक सुधार के अनुरक्षण में कोई योगदान नहीं किया है।

4.5.3 **सत्यसाई इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग** ने यह आशंका व्यक्त की है कि परिषद स्थान विशेष की ज्ञान संबंधी आवश्यकता से प्रभावित हो सकती है जबकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही ज्ञान का परिशीलन है। विश्वविद्यालय को अपना पाठ्यक्रम आदि विकसित करने में स्वतन्त्र होना चाहिए। उसने यह आशंका भी व्यक्त की है कि यदि अभी से नियंत्रित नहीं किया गया तो विश्वविद्यालयों की स्थिति विनयमनकारी प्राधिकरण की कठपुतली मात्र जैसी रह जाएगी।

4.5.4 **क्यूवेम्पू विश्वविद्यालय** ने कहा है कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में परिषद् का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के अनुसार, विश्वविद्यालयों के कालिजों को सम्बद्ध करने तथा कालिजों विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा पाठ्यक्रमों के आरम्भ करने के मामले में स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए।

4.5.5 **उस्मानिया यूनिवर्सिटी** ने कहा है कि विश्वविद्यालय विधि द्वारा सृजित एक स्वतन्त्र और स्वायत्तशासी निकाय है और उसे अधिनियम के अन्तर्गत कालिजों की स्थापना और पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय का कहना है कि उसे इस शक्ति से किसी प्रकार भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि संस्थान तथा पाठ्यक्रम निश्चित करने की शक्ति किसी प्रकार भी परिषद् से निहित नहीं की जा सकती और वह इस विषय में व्यवहार करने के लिए संरचनात्मक रूप से सम्पन्न भी नहीं है।

4.5.6 **देवी अहिल्या विश्वविद्यालय** ने कहा है कि जहां तकनीकी संस्थानों की स्थापना विश्वविद्यालय के अनन्य क्षेत्राधिकार में होनी चाहिए वहां परिषद् को इन संस्थानों में निरीक्षण तथा शिक्षा स्तर मानको के समन्वयन तथा अनुरक्षण से संबंधित होना चाहिए।

4.6 अखिल भारतीय प्रबंधन ऐसोसियेशन

इस एसोसियेशन ने प्रश्नावलि के भाग (क) का समर्थन किया है। साथ ही, इसने सुझाव दिया है कि विधि में विश्वविद्यालय से संबद्ध करने तथा विश्वविद्यालय और/अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने अथवा इससे इन्कार करने के लिए, यथा स्थिति, एक निश्चित समय सीमा का प्रावधान होना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया है कि विश्वविद्यालय को एक निगरानी तन्त्र बनाना चाहिए ताकि वह देश के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के मानकों पर निगाह रख सके, उनकी निगरानी रख सके।

4.7 भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी

इस सोसायटी ने प्रश्नावली के भाग (ख) का समर्थन किया है।

4.8 नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार

निदेशालय ने प्रश्नावलि के भाग (क) का समर्थन किया है।

4.9 शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

प्रश्नावलि के भाग (ख) का समर्थन किया है।

4.10 उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास), भारत सरकार

मंत्रालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि अन्यों के अतिरिक्त तकनीकी संस्थान स्थापित करने अथवा कोई नए तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने से पूर्व उद्योग मंत्रालय से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

4.11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि जहां परिषद् का संबन्ध स्तरमानकों के समन्वय और अनुरक्षण से होना चाहिए, राज्य सरकारों को तकनीकी संस्थानों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए तथा कालिजों को सम्बद्ध करना तथा नए पाठ्यक्रम आरम्भ करना विश्वविद्यालय का अनन्य अधिकार होना चाहिए।

अध्याय—पांच

सिफारिशें

5.1 **विधि में सुधार की आवश्यकता** :—आयोग ने अपने समक्ष रखे गए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है। जहां विभिन्न, अलग-अलग विचारों से सहमत होना संभव नहीं है, वहां यह बात पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाती है कि अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ट) में संशोधन करने तथा उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि ''तकनीकी संस्थान'' नामक अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय कि इंजीनियरी तथा अन्य संस्थान उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाए। अधिनियम में अन्तर्निहित प्रमुख उद्देश्य और प्रयोजन की दृष्टि से उच्च शिक्षा संस्थानों को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना संभव अथवा वांछनीय नहीं है। साथ ही यह अत्यन्त वांछनीय और आवश्यक है कि परिषद् और विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की शक्तियों में संतुलन बना रहे। विभिन्न राज्य अधिनियम जिनमें इन संस्थानों की स्थापना के लिए राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान है और विश्वविद्यालय अधिनियम जो विश्वविद्यालयों को कालिजों को सम्बद्ध करने तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए उपर्युक्त शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, उनका निःसन्देह, अधिनियम के प्रमुख तथा मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही, परिषद् विश्वविद्यालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के कार्यकरण में स्पष्टता, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाना भी आवश्यक है। इनमें से किसी को भी किसी प्रस्ताव को अनिश्चित काल तक लम्बित पड़े रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इनमें से प्रत्येक के द्वारा शिक्षा के प्रयोजन तथा लोकहित को ध्यान में रखकर शक्ति का उपयोग करना चाहिए। किसी राज्य, क्षेत्र अथवा जिले में कितने तकनीकी संस्थानों को अनुमति दी जाए (इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में विधिक शिक्षा के मामले में हुई है, रोकने के लिए) इस प्रश्न पर नीति निर्णय लेने से उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उन्हें तकनीकी संस्थानों की स्थापना के मामले में सभी को, जाति, मत या धर्म के भेदभाव के बिना, समान अधिकार देने चाहिएं। इस कारण से भी कोई प्राथमिकता या विशेषाधिकार नहीं दिए जाने चाहिएं कि संस्थानों की स्थापना, अथवा तकनीकी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता से जाति, मत या धर्म का कोई संबंध नहीं है।

5.2 **सिफारिश** :—तद्नुसार, विधि आयोग सिफारिश करता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10 में वर्तमान खण्ड (ट) का लोप किया जाए और धारा 10 के परवर्ती खण्डों का फिर से वर्णमाला क्रम निश्चित किया जाए और एक नई धारा— धारा 10 क निम्नलिखित रुप में अन्तः स्थापित की जाए:

''10-क नए तकनीकी संस्थान और नए पठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देना

(एक) नया तकनीकी संस्थान स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके अन्तर्गत बनाए गऐ नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन देना चाहिए। परिषद आवेदन पर इसकी प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर विधि के अनुसार निर्णय लेगी परन्तु यह कि यदि आवेदन विधि की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी या दोष है (अथवा यह किसी भी प्रकार से अपूर्ण पाया जाता है।) तो तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदक को इस विषय में सूचित कर दिया जाएगा और यदि कमियां या दोषों को दूर करने के पश्चात् परिषद को आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर इसकी प्राप्ति के चार माह के अन्दर विधि अनुसार कार्यवाही और निर्णय कर लिया जाएगा।

(दो) (क) उपधारा (एक) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यथा स्थिति, से प्राप्त स्वीकृत पत्र संलग्न किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए आवेदन पर राज्य में प्रचलित विधि के अनुसार निष्पक्ष रूप से और शीघ्रता से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति यथास्थिति, आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर आवेदक को भेज देगी।

(ग) यदि उपधारा (एक) में अवधारित आवेदन दोषपूर्ण (या विधि के प्रावधानों अथवा इस संबंध में लागू होने वाले नियमों के अनुपालन में अपूर्ण पाया जाता है) पाया जाता है तो इस संबंध में आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर सूचित कर दिया जाएगा। इस मामले में समय सीमा और इस उपधारा के खण्ड (ख) के परिणाम लागू नहीं होंगे। 90 दिन की अवधि की गणना दोष दूर करने के पश्चात आवेदन प्राप्त होने के समय से फिर से की जाएगी।

(तीन) (क) जहां तकनीकी संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव में उसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का भी विचार है वहां उपधारा (एक) में अवधारित आवेदन के साथ विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र भी संलग्न किया जाएगा कि वह परिषद से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् संस्थान को सम्बद्ध करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत है। ऐसे मामले में परिषद् द्वारा दी गई अनुमति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की स्वीकृति अस्थायी हो या अन्तिम, प्राप्त होने पर ही प्रभावी होगी।

(ख) उपधारा दो के खण्ड (ख) और (ग) में अन्तर्विष्ट प्रावधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्बद्धता की अनुमति प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन पर भी समान रूप से लागू होंगे परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के मामले में समय सीमा 180 दिन होगी।

(चार) कोई भी तकनीकी संस्थान इस धारा के अन्तर्गत परिषद की अनुमति और संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की अनुमति, जहां विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य करना आरम्भ कर सकेगा।

अध्याय—छः

निष्कर्ष

6.1 विधि आयोग सिफारिश करता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10 में वर्तमान खण्ड (ट) का लोप किया जाए और धारा 10 के परवर्ती खण्ड का फिर से वर्णमाला क्रम निश्चित किया जाए और एक नई धारा— धारा 10-क निम्नलिखित रूप में अन्त:स्थापित की जाए :—

''10-क नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देना

(एक) नया तकनीकी संस्थान स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए परिषद् को आवेदन देना चाहिए। परिषद् आवेदन पर इसकी प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर विधि के अनुसार निर्णय ले लेगी परन्तु यह कि यदि आवेदन विधि की सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो। यदि आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी या दोष है (अथवा यह किसी भी प्रकार से अपूर्ण पाया जाता है) तो तीन महीने की अवधि के भीतर आवेदक को इस विषय में सूचित कर दिया जाएगा और यदि कमियां या दोषों को दूर करने के पश्चात् परिषद को आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर इसकी प्राप्ति के चार माह के अन्दर विधि अनुसार कार्यवाही और निर्णय कर लिया जाएगा।

(दो) (क) उपधारा (एक) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, यथा स्थिति, से प्राप्त स्वीकृति पत्र संलग्न किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए आवेदन पर राज्य में प्रचलित विधि के अनुसार निष्पक्ष रुप से और शीघ्रता से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति यथास्थिति, आवेदन प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर आवेदक को भेज देगी।

(ग) यदि उपधारा (एक) में अवधारित आवेदन दोषपूर्ण (या विधि के प्रावधानों अथवा इस संबंध में लागू होने वाले नियमों के अनुपालन में अपूर्ण पाया जाता है) पाया जाता है तो इस संबंध में आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन के अन्दर सूचित कर दिया जाएगा। इस मामले में समय सीमा और इस उपधारा के खण्ड (ख) के परिणाम लागू नहीं होंगे। 90 दिन की अवधि की गणना दोष दूर करने के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने के समय से फिर से की जाएगी।

(तीन) (क) जहां तकनीकी संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव में उसे किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का भी विचार है वहां उपधारा (एक) में अवधारित आवेदन के साथ विश्वविद्यालय से इस आशय का पत्र भी संलग्न किया जाएगा कि वह परिषद् से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् संस्थान को सम्बद्ध करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हैं। ऐसे मामले में परिषद् द्वारा दी गई अनुमति विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की स्वीकृति अस्थायी हो या अन्तिम प्राप्त होने पर ही प्रभावी होगी।

(ख) उपधारा दो के खण्ड (ख) और (ग) में अन्तर्विष्ट प्रावधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्बद्धता की अनुमति प्राप्त करने हेतु दिए गए आवेदन पर भी समान रुप से लागू होंगे परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के मामले में समय सीमा 180 दिन होगी।

(चार) कोई भी तकनीकी संस्थान इस धारा के अर्न्तत परिषद् की अनुमति और संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की अनुमति, जहां विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य करना आरम्भ कर सकेगा।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

ह०
(न्यायमूर्ति बी. पी. जीवनरेड्डी)(सेवा निवृत्त)
चेयरमैन

ह०
(न्यायमूर्ति श्रीमति लीला सेठ)(सेवा निवृत्त)
सदस्य

ह०
(आर. एल. मीना)
सदस्य सचिव

ह०
(डा. एन. एम. घटाटे)
सदस्य

दिनांक: 28 जुलाई, 1998

अनुबन्ध-एक

एफ. सं. 6 (3)(45)/98-एल. सी (एल.एस)

आर. एल. मीना
सदस्य सचिव और सचिव, भारत सरकार
दू. भा. 3383382

विधि आयोग
भारत सरकार
शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

सत्यमेव जयते

29 जनवरी, 1998

सेवा में,

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय :—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 52) में संशोधनों पर कार्यपत्र

महोदय/महोदया

भारत के विधि आयोग को, अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय अधिनियमों को सरल बनाने, उनकी विसंगतियों, संदिग्दार्थ और असमानताएं दूर करने के लिए इनकी पुनरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। उसके अनुसरण में आयोग अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम का विशेषकर इसकी धारा 10 के खण्ड (ट) का, इस आशय से अध्ययन करना चाहता है ताकि इस आशंका को दूर किया जा सके कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को, सम्बद्ध अभिकरणों से परामर्श करने की सांविधिक अपेक्षा के होते हुए भी, व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

तद्नुसार, आयोग ने एक कार्यपत्र तैयार किया है, जिसमें इस उद्देश्य से एक प्रश्नावली दी गई है। आयोग इस विषय में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों/निकायों के विचार जानना चाहता है। कार्यपत्र की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

2. आयोग आपसे अनुरोध करता है कि आप प्रश्नावली पर अपने विचार भेजें ताकि ये आयोग को शीघ्रातिशीघ्र, किसी भी स्थिति से 15 मार्च, 1998 के पश्चात् नहीं, प्राप्त हो सकें। आयोग, इस कार्यपत्र की प्रतियाँ तैयार करने और संबंधित पक्षों को इस अनुरोध के साथ भेजने के लिए भी आभारी होगा कि वे अपने विचार सीधे विधि आयोग को प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(आर.एल. मीना)

संलग्नक

अध्याय-एक

1.1 कार्यपत्र की पृष्ठभूमि

यह कार्यपत्र मूलतः अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के खण्ड (ट) में संशोधन करने (जैसा कि उक्त पैरा 2.8 में प्रस्ताव किया गया है) से संबंधित है जिसमें नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने अथवा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमति देना उसका एक कृत्य निर्दिष्ट किया गया है। प्रस्तावित संशोधन का विचार इस आशंका को दूर करने के लिए किया गया है कि संबद्ध अभिकरणों से परामर्श करने की सांविधिक अपेक्षा के होते हुए भी संबद्धक विश्वविद्यालय के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को उप-खण्ड में निर्दिष्ट मामलों में पूर्ण शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार के संदेह कतिपय मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों (देखें निम्नलिखित पैरा 2.2) को देखते हुए पैदा हुए हैं जिनमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमति देने की शक्ति परिषद् में निहित है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10(ट) में आयी "सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से" नामक अभिव्यक्ति के सही अर्थ पर उक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय का पर्याप्त ध्यान आकृर्षित नहीं हुआ।

1.2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 का उद्देश्य

समस्त देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित योजना और समन्वित विकास, योजनाबद्ध परिमाणात्मक वृद्धि के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन करने और तकनीकी शिक्षा पद्धति के विनियमन और मानदंड तथा मानक के समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए संसद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987, यहाँ इसके पश्चात् "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट, बनाया गया था। परिषद् से तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विनियमन और मानदंड तथा मानकों के समुचित अनुरक्षण की भी अपेक्षा की गई थी। परिषद् से उपर्युक्त कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धति विकसित करने जिसमें उत्तरदायित्व लागू करने के लिए मानदंड और क्रियाविधि सम्मिलित हो, की भी अपेक्षा की गई है। यह छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उपबन्ध करेगी तथा उसे ऐसे संस्थानों के, जो उसके द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों और मानकों का तथा समय-समय पर उसके द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों का पालन करने में असफल रहे हैं, अनुदान रोकने या बंद करने तथा इन संस्थानों की मान्यता समाप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी।

परिषद् का गठन अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों निकायों को सम्मिलित करके किया जायेगा। यह अपने कृत्यों का निर्वहन अधिनियम की धारा 10 के निर्देशानुसार करेगी जिनकी रिपोर्ट में अन्यत्र चर्चा की गई है।

1.3 अधिनियम के उद्देश्य तथा कारण :—

अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय के रूप में स्वीकृत मानकों के अनुसार तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए सरकारी संकल्प द्वारा 1945 में की गई थी। परिषद् पहली तीन दशाब्दियों के दौरान प्रभावी रूप में कार्य करती रही और इस अवधि में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। तथापि, हाल के वर्षों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के निर्धारित मार्गनिर्देशों की अवहेलना करते हुए बहुत से निजी इंजीनियरिंग कालिज तथा पालिटेकनिक संस्थान स्थापित हो गए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थानों में समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रारंभिक ज्ञान संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव जैसी गम्भीर कमियां हैं। कुछ संस्थानों को छोड़कर इनमें शैक्षणिक स्तर के अनुरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा जाता है।

2. तकनीकी शिक्षा के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए, 1981 में हुई अपनी बैठक में समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि अब ऐसा समय आ गया है जबकि परिषद् को देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर के विनियमन और अनुरक्षण के लिए सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए। इनके तथा अन्य सिफारिशों के अनुसरण में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की भूमिका की जाँच करने के लिए नवम्बर, 1985 में एक राष्ट्रीय कार्यकारी दल गठित किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपनी भूमिका प्रभावी रूप में निभा सके इस विचार से उसे आवश्यक सांविधिक प्राधिकार दिया

जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1966 में भी यह कहा गया है कि आयोजना मानदंड तथा मानक निर्धारित करने तथा उनके अनुरक्षण, प्रत्यायन, वित्तपोषण अथवा प्राथमिकता वाले क्षेत्र, निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रमाणपत्रों तथा अधिनिर्णयों में समानता बनाए रखने और तकनीकी तथा प्रबंधन शिखा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सांविधिक प्राधिकार दिए जायेंगे।

3. विधेयक में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान किया है :—

(एक) देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की समुचित योजना और समन्वित विकास।

(दो) योजनाबद्ध परिमाणात्मक वृद्धि के संबंध में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार का संवर्धन, और

(तीन) प्रणाली के विनियमन और मानदंडों तथा मानकों का समुचित अनुरक्षण।

तद्नुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सौंपी गयी शक्तियों और कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, कार्यक्रमों और संस्थानों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करना, तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान करना, छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना और फीस प्रभारित करना तथा स्तरमानों के अनुरक्षण और कार्यक्रम तथा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने या रोकने की दृष्टि से संस्थानों का आवधिक निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने का प्रावधान है। इस समग्र समन्वयन और विकास दायित्व के भाग के रूप में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् परिलक्षित विकास प्रयोजनों के लिए संस्थानों को अनुदान भी देगी। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई प्रौद्योगिकी का सृजन, अनुसंधान और विकास, उद्योग के साथ सम्पर्क तथा महिलाओं, विकलांगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा का संवर्धन भी कर सकेगी।

नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्य निष्पादन में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों की भूमिका संबंधी प्रावधान

2.1 अध्याय तीन में आयी धारा 10 में परिषद् की शक्तियों और कृत्य निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में नए संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने हेतु संबंधित अभिकरणों से जिसमें सम्बद्धक विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है, परामर्श करने का प्रावधान है। वर्तमान प्रयोजन से जितना संगत है, धारा 10 का पाठ इस प्रकार है :—

"10 परिषद् का कर्तव्य होगा कि वह सभी उपाय करे जो वह तकनीकी शिक्षा का समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा स्तरमान को बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद्——

(ट) नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए और **सम्बन्धित अभिकरणों के परामर्श से** नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकेगी"

(बल दिया गया)

धारा 11 परिषद् को किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं की या उसके अध्ययन, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरमानों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तकनीकी संस्था, विश्वविद्यालय या उसके विभागों का निरीक्षण कराने की शक्ति प्रदान करती है।

अधिनियम की धारा 22 और 23 के अतिरिक्त अन्य प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। धारा 22 अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और धारा 23 इसी उद्देश्य से परिषद् को विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

2.2 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों में अधिनियम की धारा 10 के खंड (ट) की तात्विक शब्दावली की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया :—

जे. पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य तथा अन्य [(1993) 1 सु.को. 645] संविधान पीठ द्वारा निर्णीत) के मामले में पैरा 189 और 190 में अधिनियम की व्यापक स्कीम पर विचार किया गया। धारा 10 के संगत खण्डों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय ने टिप्पणी की :—

"अधिनियम की धारा 3 में परिषद् की स्थापना का प्रावधान है जबकि धारा 10 में परिषद् के कृत्य निर्दिष्ट किए गए हैं। इस सामान्य निर्देश के अतिरिक्त कि परिषद् तकनीकी शिक्षा का समन्वित तथा एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा स्तरमानों को बनाए रखने के लिए वह सभी उपाय करेगी जो वह ठीक समझे, अधिनियम में परिषद् को, अन्य बातों के साथ-साथ (ज) अध्यापन फीस और अन्य फीसें प्रभारित करने के लिए मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धान्त नियत करने, (ट) नई तकनीकी संस्थाएं आरम्भ करने के लिए और अभिकरणो के परामर्श से नए पाठ्यक्रम या नए कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने, और तकनीकी शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। **यह सच है कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिसमें यह व्यवस्था दी गई हो कि कोई भी इंजीनियरी कालिज अथवा तकनीकी शिक्षा देने वाला कोई भी अन्य कालिज या संस्थान परिषद् की अनुमति से स्थापित किया जा सकेगा। परन्तु इसी कारण से परिषद् द्वारा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझती है, ऐसी शक्ति का उपयोग किया जाना आशयित है।** हमार मत है कि धारा 10 द्वारा परिषद् को प्रदान की गयी शक्तियां, उपर्युक्त निर्दिष्ट शक्तियों सहित, परिषद को उक्त प्रभाव का आदेश जारी करने का अधिकार देती है। परिषद् यह भी कह सकती है कि वर्तमान संस्थानों में भी कोई भी नया पाठ्यक्रम, संकाय अथवा क्लास बिना अनुमति के आरम्भ नहीं की जाएगी————"

दुर्भाग्यवश, धारा 10 के खण्ड (ट) मे आयी शब्दावली—''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' पर अथवा अधिनियम में अन्तर्निहित मुख्य उद्देश्य के संबंध मे खण्ड के अनुपूरक स्वरूप पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया—''तकनीकी संस्थान'' नामक अभिव्यक्ति के अर्थ और व्याप्ति पर और भी कम ध्यान दिया गया। संभवतया इसका कारण यह हो रहा है कि न्यायालय का तात्पर्य अधिनियम की सामान्य योजना पर विचार करना था और न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामलों में धारा 10 के खण्ड (ट) में आयी उपर्युक्त शब्दावली पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी।

तमिलनाडु राज्य तथा अन्य बनाम अद्यमान शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान तथा अन्य (1995) 4 एस सी एम 104, मामले में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच ने अधिनियम की योजना तथा क्षेत्र पर और दो राज्य अधिनियमों अर्थात् तमिलनाडु प्राइवेट कालिजेज (विनियम)अधिनियम, 1976 (तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम) और मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट, 1923 (तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम) की योजना तथा क्षेत्र पर विस्तार से विचार किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 66 तथा सूची तीन की प्रविष्टि 25 से संबंधित है और इन्हीं के अन्तर्गत और अनुसरण में बनाया गया है। न्यायालय ने यह भी पाया है कि तमिलनाडु के उपर्युक्त दोनों अधिनियम भी सूची तीन की प्रविष्टि 25 से संबंधित है और तद्नुसार अभिनिर्धारित किया कि जहाँ उक्त दोनों राज्य अधिनियमों के क्षेत्र अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं वहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राज्य अधिनियम निरर्थक है और लागू नहीं होंगे। यह भी बताया गया कि उक्त अधिनियमों पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं की गई जैसा कि उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में अपेक्षित है। निर्णय के पैरा 27 (पृष्ट 124) पर की गयी टिप्पणियां संगत हैं और यहां नीचे उद्धृत की जा रही है। तमिलनाडु प्राइवेट कालिज (विनियमन) अधिनियम और अधिनियम के बीच विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय ने टिप्पणी की—

> ''27 उपर्युक्त राज्य अधिनियमों के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि यदि इन्हें तकनीकी संस्थानों के लिए लागू कर दिया जाए तो इनसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर . . . नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने के मामले में . . . ., केन्द्रीय अधिनियम का अतिक्रमण होगा और यह विवादास्पद विषय बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्वत्तर चर्चा की जा चुकी है, केन्द्रीय अधिनियम का मूल उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, देश पर्यन्त तकनीकी शिक्षा प्रणाली की योजना और समन्वित विकास और ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार के संवर्धन तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली के मानदंड तथा मानकों के समुचित अनुरक्षण की दृष्टि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना करना है और यह विषय केवल केन्द्रीय सरकार के विधायी क्षेत्राधिकार में आता है जैसा कि सातवीं अनुसूची को संघ सूची में प्रविष्ट संख्या 66 से स्पष्ट है। **अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही बनाए गए हैं इन्हें सूची संख्या तीन की प्रविष्ट संख्या 25 के अन्तर्गत अधिनियमित भी समझा जा सकता है ''**

(बल दिया गया)

इस अधिनियम तथा मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के बीच विवाद पर विचार करते हुए, न्यायालय ने पैरा 30 में निम्नलिखित टिप्पणी की :—

> ''केन्द्रीय अधिनियम और यूनिवर्सिटी एक्ट के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जहां तक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का संबंध है,परिषद तथा विश्वविद्यालय के कृत्यों के बीच विवाद और अतिव्याप्ति है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत परिषद को विशेषकर————नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गई है————————— इस प्रकार जहां तक ऐसे मामलों का संबंध है, तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थानों के मामले में यूनीवर्सिटी का नहीं अपितु केन्द्रीय अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत स्थापित परिषद का ही अधिकार क्षेत्र होगा। उस सीमा तक, केन्द्रीय अधिनियम के लागू होने के पश्चात, यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधान इंजीनियरी कालिज जैसे तकनीकी कालिजों के मामले में अप्रवर्तनीय समझे जायेंगे———। इंजीनियरी कालिज जैसे तकनीकी कालिजों के संबंद्ध होने के बारे में और **अनुदान की शर्तें तथा विश्वविद्यालय इस प्रकार समबद्ध बने रहने के मामले में यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रावधान प्रवर्तनीय रहेंगे परन्तु अनुदान प्राप्त करने तथा सम्बद्धता जारी रखने संबंधी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें परिषद द्वारा केन्द्रीय अधिनियम** की धारा 10 के अन्तर्गत उसे सौंपे गए मामलों के बारे में निर्धारित मानदंडों और मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप ही होनी चाहिए।

(बल दिया गया)

इस निर्णय में भी फिर से दुर्भाग्यवश, न तो धारा 10 (ट) के अन्तिम शब्दों पर अर्थात् ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' और न ही धारा 10 और उसके खण्ड (ट) के अर्थ से संबंधित अन्य मामलों पर समुचित ध्यान दिया गया। यह बात स्पष्ट है कि तकनीकी संस्थानों की स्थापना को अनुमति प्रदान करने की शक्ति पर विचार करते समय, ऐसे मामलों की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं दिलाया गया। यह बात नोट की जा सकती है कि अधिनियम के अनुसार नए तकनीकी संस्थान और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने के लिए परिषद की शक्ति तथा कृत्य पूर्ण एवं अनन्य नहीं है। अधिनियम में इस शक्ति को ''सम्बद्ध अभिकरणों के परामर्श से'' और केवल अधिनियम का मूल उद्देश्य या प्रयोजन

प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने की अवधारणा है। ''सम्बद्ध अभिकरणों'' में विश्वविद्यालय, जिसे सम्बद्धता के लिए अनुमति देनी है, और राज्य सरकार जहां राज्य अधिनियम नए तकनीकी संस्थानों और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति देने से संबंधित है अवश्य ही सम्मिलित होने चाहिए।

2.3 धारा 10 के खण्ड (ट) के अन्तर्गत कृत्यों के संबंध में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का प्रभाव

तमिलनाडु राज्य तथा अन्य बनाम अद्यमान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के बाद के निर्णय का प्रभाव यह है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने तथा विद्यमान तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या नए कार्यक्रम आरम्भ करने के मामले में एकमात्र, अनन्य तथा पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार को नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने और नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करने के मामले में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को अपने विचार व्यक्त करने से वंचित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुरूप प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका कम हो जाएगी। यह सच है कि यह अधिनियम तकनीकी शिक्षा के स्तरमानों में आने वाली गिरावट को रोकने के लिए कार्यान्वित किया गया था और इस प्रकार परिषद् की भूमिका अस्तित्व में आयी। परन्तु इस परिस्थिति से विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों की इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करने संबंधी भूमिका निरर्थक नहीं की जा सकती।

इस संबंध में विश्वविद्यालयों की भूमिका को संक्षेप में बताया जा सकता है। जब तक विश्वविद्यालय द्वारा किसी संस्थान को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती है तब तक तकनीकी संस्थान सहित किसी भी संस्थान का अस्तित्व नहीं रह सकता जैसा कि जे.पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) के मामले में निर्दिष्ट है न तो संघटक कालिज (विश्वविद्यालय के) और न ही संबद्ध कालिज (प्राईवेट शिक्षा संस्थान) अपनी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। वे संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करते हैं और डिग्री तथा प्रमाण-पत्र भी संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा ही दिए जाते हैं (देखें निर्णय का पैरा 204)। अत: संबद्धक विश्वविद्यालय के प्राथमिक महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका की न तो उपेक्षा ही की जा सकती है और न ही उसके महत्व को कम करके आंका जा सकता है। कालिजों को संबद्ध करना न तो कोई सामान्य विषय है और न ही मात्र औपचारिकता। संबद्धकरण इस प्रकार के शिक्षा संस्थान का जीवन संचार है। इसके अभाव में किसी भी तकनीकी संस्थान का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।

2.4 समान विषयों से संबंधित विश्वविद्यालय के कृत्यों के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन सुसंगत प्रावधान

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में 1992 के संशोधन के अनुसार मैडिकल कालिज स्थापित करने के लिए स्वीकृति देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। धारा 10क से 10ग के प्रावधान और उनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गनिर्देश यह दर्शाते हैं कि ऐसी स्थापना की स्वीकृति देने से पूर्व भारतीय चिकित्सा, परिषद् तथा संबंधित विश्वविद्यालय के विचार भी प्राप्त कर लिए जाने चाहिए।

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के धारा 10क के सुसंगत प्रावधानों का उद्धरण संदर्भ के लिए नीचे दिया जा रहा है :

''10क नए मैडिकल कालिज, नए पाठ्यक्रम आदि की स्थापना के लिए अनुमति :—

(१) ————

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति अथवा मैडिकल कालिज, उपधारा (1) के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार एक स्कीम को परिषद् को उसकी सिफारिशें प्राप्त करने के लिए भेजेगी

(ख) ————

(3) ————

(4) केन्द्रीय सरकार स्कीम पर तथा उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, और जहां आवश्यक हो, संबंधित व्यक्तियों या कालिजों से ऐसे अन्य विवरण, जो आवश्यक समझे जायें, प्राप्त करने और उपधारा (7) में निर्दिष्ट तत्वों को ध्यान में रखते हुए योजना को या तो स्वीकृत कर सकती है (ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे) या अस्वीकृत और ऐसी स्वीकृति उपधारा (1) के अन्तर्गत अनुमति समझी जाएगी :

परन्तु यह कि कोई भी स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित व्यक्ति या कालिज को उसका पक्ष सुनने का न्यायोचित अवसर प्रदान किए बिना अस्वीकृत नहीं की जाएगी :— ————''

''व्यक्ति'' शब्द का स्पष्टीकरण इस धारा में विश्वविद्यालय को सम्मिलित करने के लिए दिया गया है।''

धारा 10क, के अन्तर्गत बनाए बए विनियमों, जिन्हें ''नए मैडिकल कालिजों की स्थापना उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करना और मैडिकल कालिजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम 1993'' कहा जाता है, के पैरा 3 में अर्हक मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जहां तक सुसंगत है, उक्त पैरा का पाठ इस प्रकार है : पात्र संगठन भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, समय-समय पर संशोधित रूप में, तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों का पालन करेंगे और नए मैडिकल कालिज स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती है ———————— (3) प्रस्तावित कालिज प्रस्तावित स्थान पर स्थापित करने की वांच्छनीयता ओर संभाव्यता संबंधी अनिवार्यता प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त कर लिया गया हो और यह कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की अपेक्षाओं के अनुसार पर्याप्त चिकित्सा सामग्री उपलब्ध है। (4) यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित मैडिकल कालिज के संबद्ध करने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।''

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मैडिकल कालिज स्थापित करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना **पुरोभाव्य** शर्त है। यह नोट करना भी उतना ही संगत है कि नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने तथा किसी मैडिकल कालिज में छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु आवेदन करने के लिए भी इस प्रयोजन से संबद्धक विश्वविद्यालय की स्वीकृति उक्त विनियमों के अन्तर्गत पुरोभाव्य शर्त बनायी जानी चाहिए।

2.5 दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत ''विश्वविद्यालय'' से संबंधित सुसंगत प्रावधान :

अधिनियम की धारा 10क से 10ग के प्रावधानों का संदर्भ यह दर्शाता है कि एक नए दन्त चिकित्सा कालिज की स्थापना, नए अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण सहित) आदि आरम्भ करने की अनुमति देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है। धारा 10-क से 10-ग के प्रावधान तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियम भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में 1992 में किए गए संशोधन के प्रावधानों और ऊपर उद्धृत विनियमों के अनुरूप ही है।

2.6 अपनी-अपनी परिषदों के गठन में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ विधियों के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधान :—

(एक) वास्तव में गुजरात चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1967 की धारा 3(3)(ख) के अन्तर्गत चिकित्सा परिषद् का गठन होगा,

''(ख) राज्य में विधि द्वारा स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय से जिसमें चिकित्सा संकाय हो, एक सदस्य विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के सदस्यों द्वारा सक्षम सदस्यों में से जो प्रैक्टिस करते हो, निर्वाचित किया जाएगा और''

(दो) इसी प्रकार महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 3(3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि उक्त चिकित्सा परिषद् में अन्य के साथ-साथ सदस्य होंगे :—

''(ख) राज्य में विधि द्वारा स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय से, जिसमें चिकित्सा संकाय हो, एक सदस्य विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के सदस्यों द्वारा संकाय के सदस्यों में से जो प्रैक्टिस करते हो, निर्वाचित किया जाएगा,''

(तीन) **भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत परिषद् में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व संबंधी स्थिति**

अधिनियम की धारा 3 में भारतीय चिकित्सा परिषद् के गठन और उसकी संरचना का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3(1)(ख) निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था है :—

''(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से उसके चिकित्सा संकाय के सदस्यों में से विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्यों द्वारा अथवा जहां विश्वविद्यालय में सीनेट न हो वहां कोर्ट के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक-एक सदस्य,''

(चार) **दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थिति**

इस अधिनियम की धारा 3 भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् के गठन और उसकी संरचना से संबंधित है। इसमें व्यवस्था है कि परिषद् का गठन अन्य सदस्यों के साथ-साथ निम्नलिखित सदस्यों से होगा :—

(घ) राज्यों में विधि द्वारा स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय से, जो दन्त चिकित्सा की मान्यताप्राप्त अर्हता प्रदान करता हो, विश्वविद्यालय के दन्त चिकित्सा संकाय के सदस्यों में से अथवा जहां सीनेट नहीं है वहां विश्वविद्यालय की कोर्ट द्वारा निर्वाचित एक-एक सदस्य;

(ङ) राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में अथवा दन्त चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य,''

उपर्युक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अपनी-अपनी परिषदों में विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधित्व को सांविधिक मान्यता प्राप्त है। अपनी-अपनी परिषदों के नीतियां बनाने/निर्णय लेने में प्रत्येक विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय अपनी उपस्थिति से अधिनियमितियों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी परिषद् की नीति बनाने/निर्णय लेने में अपना पक्ष रखने के अधिकारी हो सकेंगे।

यह निर्विवाद तथ्य है कि नए संस्थान की स्थापना अथवा नया पाठ्यक्रम आरम्भ करने के संबंध में अनुमति देने के लिए सिफारिश करने में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

2.7 अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ट) में संशोधन करने की आवश्यकता

नए तकनीकी संस्थान तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति देने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका की पुनर्स्थापना के लिए ताकि अधिनियम की धारा के खण्ड (ट) के उपर्युक्त अन्तिम शब्दों को पूरा अर्थ दिया जा सके अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ट) में संशोधन करने की आवश्यकता अन्यथा जे.पी. उन्नीकृष्णन तथा अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य (उपर्युक्त) और अद्यमान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में की गयी टिप्पणियों को इस प्रकार समझा जाता है कि नए तकनीकी की स्थापना के मामले में विश्वविद्यालय और सरकार की कोई भूमिका नहीं है। यह भी विचारणीय है कि क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को, इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार की पूर्ण शक्ति प्रदान करना अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इन परिस्थितियों में अनन्य शक्ति प्रदान करना उचित है। ऐसे मामलों में अभिभावी सिद्धान्त यह है कि किसी एक व्यक्ति या एजेन्सी के हाथों में पूर्ण शक्ति केन्द्रित नहीं की जानी चाहिए। धारा 10 के खण्ड (ट) में उपर्युक्त अन्तिम शब्दों को महत्व तथा पूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के ऊपर निर्दिष्ट किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए भी यह आवश्यक है। ऐसे कालिज स्थापित करने तथा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के मामले में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को पुनःस्थापित करना भी उतना ही आवश्यक हो गया है जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 से 1992 के संशोधन तथा दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 और उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार चिकित्सा कॉलेज/दन्त चिकित्सा कालिज स्थापित करने हेतु अनुमति प्रदान करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है। ऐसी स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन पूर्व भी संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की अनुमति का पत्र प्राप्त करना पुरोभाव्य शर्त बनाई जानी चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद् जैसे निकायों से भी परामर्श किया जाना चाहिए और उन्हें इस मामले में अनन्य प्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को ऐसी अनन्य शक्ति प्रदान करने के पर्याप्त कारण हैं जबकि ऐसी ही सांविधिक वृत्तिक परिषदों को केवल सिफारिश करने की भूमिका प्रदान की गई है।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की भूमिका विभिन्न रूपों में, भारतीय चिकित्सा परिषद् की ही भांति परामर्शदात्री स्वरूप की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 10(ठ) के अन्तर्गत परिषद् तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किसी वृत्तिक निकाय या संस्था को चार्टर के अनुदान के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह दे सकेगी : धारा 10(न) के अन्तर्गत परिषद् तकनीकी शिक्षा देने वाली किसी संस्था को विश्वविद्यालय सम घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह दे सकेगी। इस संबंध में अजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय 1994 (2) सु. को. 662 (673) का उल्लेख करना संगत होगा जहां उच्चतम न्यायालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 20 में प्रयुक्त इस शब्दावली को कि ''समस्त भारत में स्नातकोत्तरचिकित्सा शिक्षा के एक समान स्तरमान सुनिश्चित करने के मामले में भी विश्वविद्यालयों को सलाह दे सकेगी'' परामर्शदात्री स्वरूप की बताया है। इस प्रकार इस बात की जांच करना भी सुसंगत होगा कि विभिन्न सांविधिक वृत्तिक परिषदों के बीच कार्य निष्पाद निष्पादन में एकरूपता बनाए रखने के लिए क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की भूमिका का भी भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् की तरह ही बनाया जाना चाहिए।

जो भी हो, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10 के खण्ड (ट) उक्त अन्तिम शब्दों को महत्व दिया जाना चाहिए और पूरा अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए।

2.8 स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, विधि आयोग अधिनियम की धारा 10 (ट) में संशोधन के सुझाव का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित संशोधन के बारे में एक प्रश्नपत्र आपके विचारार्थ नीचे दिया जा रहा है :

(क) क्या प्रस्तावित संशोधन निम्नलिखित रूप में होना चाहिए :—

''(ट) नए तकनीकी संस्थान आरम्भ करने तथा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए अनुमति प्रदान करना—

(एक) संबंधित अभिकरणों के परामर्श से; और

(दो) किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने के प्रस्ताव अथवा पहले से ही सम्बद्ध संस्थानों के मामलों में, विश्वविद्यालय की सहमति से।

(ख) क्या वर्तमान धारा 10(ट) का लोप कर दिया जाए और इन कार्यों को करने के लिए उसके स्थान पर ऊपर उद्धृत भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10-क की भांति एक नई धारा 10-क अन्तः स्थापित की जाए।

(ग) क्या देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार के प्रयोजनों से अधिनियम में कोई अन्य मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है?

विधि आयोग इस विषय पर विचार/टिप्पणियां आमंत्रित करता है और साथ ही आपसे अनुरोध करता है कि आप प्रश्नपत्र में उठाए गए मामलों के बारे में अपने बहुमूल्य विचार छः सप्ताह के भीतर भेज दें।

MGIPRRND—55 LJ&CA/2000—100 Copies.

PLD 92.CLX (Hindi)
100—2000 (DSK–IV)

मूल्य { देश : 452.00 रुपए
विदेश : £ 7.00 या $ 10.00 }

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2001